केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य

बनाम

सुभाष शर्मा

(7 मार्च, 2002)

[एस. एन. फूकन तथा पी. वेंकटरामा रेड्डी, न्यायाधीश**]**

सेवा विधि:

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985:

धारा 1(2)(a) – अधिनियम की लागू होने की सीमा – जम्मू और कश्मीर राज्य पर – अभिनिर्धारित: यह अधिनियम केंद्र सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्य करने के लिए नियुक्त या पदस्थापित किया गया है।

धारा 14(1)(b)(iii) – केन्द्रीय विद्यालय – सेवा संबंधी मामले – केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण – क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और प्राधिकार – अभिनिर्धारित: केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस तथ्य से कोई अंतर नहीं पड़ता कि संबंधित संस्था जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226 और 227 – सेवा संबंधी मामले – रिट याचिका – उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार – अभिनिर्धारित: सेवा संबंधी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से रिट याचिकाओं की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ही प्रथम दृष्टया न्यायालय (प्रथम मंच) के रूप में कार्य करता रहेगा - जम्मू और कश्मीर का संविधान, धाराएँ 103 और 104।

अपीलकर्ता केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारी रहे प्रतिवादियों ने अपनी सेवा शर्तों से संबंधित कुछ विवादों का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं। अपीलकर्ताओं ने यह कहते हुए कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत इन विवादों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को प्राप्त है, रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। किन्तु उच्च न्यायालय ने उन आवेदनों को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील दायर की गई।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: न्यायमूर्ति फूकन के अनुसार –

1. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 1(2)(a) के अनुसार यह अधिनियम केंद्र सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्य करने के लिए नियुक्त या पदस्थापित किया गया है। [340-बी]

कुलदीप खुद बनाम मसूद अहमद चौधरी, (1994) जेकेएलआर 25 (J&K) (एफबी), अनुमोदित।

2.1 केन्द्रीय विद्यालय एक स्वायत्त निकाय है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और भारत सरकार के नियंत्रण में है। इस स्थिति में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 14(1)(b)(iii) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। [341-A]

2.2 केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित सेवा विवाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि संस्था जम्मू और कश्मीर में स्थित है या प्रतिवादी वहीं कार्यरत है। [341-C]

3. केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा सीधे रिट याचिकाओं की सुनवाई करना विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि ऐसे मामले प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अतः रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को स्थानांतरित करने से इंकार करके उच्च न्यायालय ने त्रुटि की। [342-B]

एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ, **(1997) 3 एससीसी 261**, का अनुसरण किया गया।

कुलदीप खुद बनाम मसूद अहमद चौधरी, **(1994) जेकेएलआर 25 (J&K) (एफबी)**, आंशिक रूप से निरस्त।

न्यायमूर्ति रेड्डी के अनुसार (परिशिष्ट रूप में) –

1. **चंद्र कुमार के मामले में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 या जम्मू और कश्मीर संविधान के समकक्ष प्रावधान, अर्थात् धारा 103/104 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार बनाए रखेगा, यहाँ तक कि उन सेवा संबंधी मामलों में भी जो अनुच्छेद 323-ए(1) के अंतर्गत आते हैं। इस सीमा तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा एक भिन्न आधार पर निकाला गया अंतिम निष्कर्ष, चंद्र कुमार के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के अनुरूप है। [343-एच]**

   एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ **[1997] ३ एससीसी 261**

2. **चंद्र कुमार के मामले में दिया गया निर्णय न्यायिक कौशल का परिणाम है और हमारे गणराज्य में संवैधानिक विधि के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यद्यपि यह निर्णय स्वतः (ipso facto) जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान पर लागू नहीं होता, फिर भी ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि इस निर्णय का सिद्धांत जम्मू और कश्मीर संविधान की धाराएँ 103 और 104 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा लागू न किया जाए। इस न्यायालय द्वारा चंद्र कुमार के मामले में विकसित किया गया यह सम्यक् सिद्धांत धाराएँ 103 और 104 पर भी विस्तारित किया जा सकता है; अन्यथा इससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी अथवा केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले निगमों आदि के कर्मचारी अधिकरण को दरकिनार करने का विकल्प प्राप्त कर लेंगे, जबकि अन्य स्थानों पर कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों को ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। [344-इ-एफ]**

एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ, **(1997) 3 एससीसी 261**, का अनुसरण किया गया। *कुलदीप खुद बनाम मसूद अहमद चौधरी*, **(1994) जेकेएलआर 25 (J&K) (एफबी)**, आंशिक रूप से निरस्त।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 5448, वर्ष 2000।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.पी. संख्या 112-D/99, एस.डब्ल्यू.पी. संख्या 423, वर्ष 1997 में दिनांक 13.12.1999 को पारित निर्णय / आदेश से।

साथ में

सिविल अपील संख्या 5021, वर्ष 2001।

अपीलकर्ता की ओर से: डॉ. वी. गौरीशंकर तथा एस. राजप्पा।

उत्तरदाताओं की ओर से: अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पी. कपूर तथा बी. डी. शर्मा।

न्यायालय के निर्णय इस प्रकार दिए गए:

फूकन, न्यायमूर्ति- इन दो अपीलों में, जो विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई हैं, जम्मू में स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती दी गई है। विवादित आदेशों द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर उन दो आवेदनों को खारिज कर दिया, जिनमें रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। चूँकि दोनों अपीलों में उठाए गए मुद्दे समान हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया और इस निर्णय द्वारा दोनों अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपीलकर्ता केन्द्रीय विद्यालय संगठन (संक्षेप में 'केन्द्रीय विद्यालय') तथा उसके अधिकारी हैं। सिविल अपील संख्या 5021, वर्ष 2001 में प्रतिवादी संख्या 1 तथा सिविल अपील संख्या 5448, वर्ष 2000 में एकमात्र प्रतिवादी केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं। उनकी सेवा शर्तों के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न होने पर उन्होंने निर्णय हेतु संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएँ दायर कीं। उक्त दोनों रिट याचिकाओं में केन्द्रीय विद्यालय ने दो पृथक आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें यह कहा गया कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत इन विवादों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को प्राप्त है, अतः रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को

स्थानांतरित किया जाए। विवादित आदेशों द्वारा दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

दिनांक 24 जनवरी, 2002 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात भारत के महान्यायवादी तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया। महाधिवक्ता ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। श्री अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इस न्यायालय की सहायता के लिए भारत के महान्यायवादी की ओर से उपस्थित हुए।

उच्च न्यायालय ने उसी न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय कुलदीप खुद बनाम मसूद अहमद चौधरी, (1994) जेकेएलआर 25 (जे&के) (एफबी) पर भरोसा करते हुए यह कहा कि इस प्रकार के सेवा विवादों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार रिट न्यायालय को प्राप्त है और इसलिए स्थानांतरण की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए यह माना कि रिट याचिकाएँ ग्राह्य हैं।

"हम पहले ही संकेत कर चुके हैं कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 यद्यपि पूरे भारत में लागू होता है, फिर भी यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं की सुनवाई करने के इस न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियम की लागू होने की सीमा और इस अधिनियम द्वारा इस न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार का समाप्त किया जाना– ये दोनों भिन्न बातें हैं। यद्यपि जम्मू और कश्मीर राज्य में पदस्थापित केंद्र सरकार के कर्मचारियों आदि को उनके सेवा संबंधी मामलों के संबंध में अधिकरण का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है, फिर भी वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य के संविधान की धारा 103 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रार्थना करने का विकल्प बनाए रखते हैं। इन परिस्थितियों में अधिकरण एक अतिरिक्त या वैकल्पिक मंच होगा, न कि एकमात्र मंच।"

श्री अल्ताफ अहमद ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:–

(1) अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (a) के अनुसार यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तारित है। चूँकि प्रतिवादी केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है

और भारत सरकार के नियंत्रण में है, अतः उनके सेवा संबंधी विवादों का क्षेत्राधिकार विशेष रूप से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधीन है।

(2) श्री अहमद के अनुसार, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 226 या जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 103 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पास व्यापक अधिकार हैं, तथापि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य [1997 (3) एससीसी 261] में दिए गए निर्णय के आलोक में लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए उच्च न्यायालय को रिट याचिका की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरीशंकर तथा अधिवक्ता श्री राजप्पा और श्री कपूर ने श्री अल्ताफ अहमद द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया। इसके प्रत्युत्तर में सिविल अपील संख्या 5021, वर्ष 2001 में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री बी. डी. शर्मा ने यह प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के दृष्टिगत यह अधिनियम राज्य पर लागू नहीं होता। यद्यपि सिविल अपील संख्या 5448 में प्रतिवादी को नोटिस दिया गया था, तथापि वह उपस्थित नहीं हुआ।

जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिनियम की लागू होने की सीमा के संबंध में श्री अहमद ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (a) की ओर आकर्षित किया है। उक्त उपधारा इस प्रकार है :–

“(2) यह विस्तारित होता है –

(क) जहाँ तक इसका संबंध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से है, यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

(ख) जहाँ तक इसका संबंध राज्यों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों से है, यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा।”

उपरोक्त विधिक प्रावधान के आलोक में हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि यह अधिनियम केंद्र सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्य करने के लिए पदस्थापित किया गया है। अतः हमारा मत है कि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री बी. डी. शर्मा का यह तर्क कि अधिनियम राज्य पर

लागू नहीं होता, स्वीकार्य नहीं है। हम यहाँ यह भी जोड़ना उचित समझते हैं कि कुलदीप खुद (उपर्युक्त) के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी यह मत व्यक्त किया है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य भी सम्मिलित है।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है–इस अपने तर्क के समर्थन में श्री अहमद ने अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (b) के उपखंड (iii) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

उक्त प्रावधान इस प्रकार है :–

"14. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और प्राधिकार –

1. इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त तिथि से उन सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) द्वारा उस तिथि से ठीक पूर्व प्रयोग किए जाने वाले सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा, जो निम्नलिखित के संबंध में हैं –

   (a) .....

   (b) सभी सेवा संबंधी मामले, जो निम्नलिखित से संबंधित हों –

   (i) .....

   (ii) .....

   (iii) ऐसा नागरिक, जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य न हो अथवा खंड (c) में उल्लिखित व्यक्ति न हो, जिसे किसी रक्षा सेवा में या रक्षा से संबंधित किसी पद पर नियुक्त किया गया हो,

और ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित, जो भारत के क्षेत्र के भीतर संघ या किसी राज्य के कार्यों के संबंध में अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या *सरकार के स्वामित्व* अथवा नियंत्रण में किसी निगम या सोसायटी से संबंधित हो।"

केन्द्रीय विद्यालय एक स्वायत्त निकाय है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और भारत सरकार के नियंत्रण में है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 14(1)(b) के उपखंड (iii) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के संबंध में प्रशासनिक अधिकरण को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस संबंध में माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भारत सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी दिनांक 17 दिसंबर, 1998 की अधिसूचना की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने यह निर्दिष्ट किया कि अधिनियम उस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित संगठनों पर भी लागू होगा। उक्त अधिसूचना की सूची में क्रम संख्या 34 पर केन्द्रीय विद्यालय को भी सम्मिलित किया गया है। अतः श्री अहमद ने सही रूप से यह प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित सेवा विवाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आएंगे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि संस्था जम्मू और कश्मीर में स्थित है या प्रतिवादी वहीं कार्यरत है।

श्री अहमद के दूसरे तर्क को समझने के लिए हम इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय एल. चंद्र कुमार के मामले (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 93 और 99 के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत करते हैं:–

"(93) ..... हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि अधिकरण उन विधि क्षेत्रों के संबंध में, जिनके लिए उनका गठन किया गया है, प्रथम दृष्टया न्यायालय (प्रथम मंच) के रूप में कार्य करते रहेंगे। इसका आशय यह है कि वादकारी सीधे उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ वे वैधानिक विधानों की वैधता को चुनौती देते हों (अपवाद स्वरूप, जहाँ उस विधि को ही चुनौती दी गई हो जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकरण का गठन किया गया है), और इस प्रकार संबंधित अधिकरण के क्षेत्राधिकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

"(99) ..... अतः वादकारियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे संबंधित अधिकरण के क्षेत्राधिकार की उपेक्षा करते हुए सीधे उच्च न्यायालय का रुख करें, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ वे वैधानिक विधानों की वैधता को चुनौती देते हों (अपवाद स्वरूप, जहाँ उस विधि को ही चुनौती दी गई हो जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकरण का गठन किया गया है)।

अधिनियम की धारा 5(6) वैध और संवैधानिक है तथा उसकी व्याख्या उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसा कि हमने संकेत किया है।"

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अधिकरण उन विधि क्षेत्रों के संबंध में, जिनके लिए उनका गठन किया गया है, प्रथम दृष्टया न्यायालय (प्रथम मंच) के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादकारियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे संबंधित अधिकरण के क्षेत्राधिकार की उपेक्षा करते हुए सीधे उच्च न्यायालय का रुख करें, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ वे वैधानिक विधानों की वैधता को चुनौती देते हों (अपवाद स्वरूप, जहाँ उस विधि को ही चुनौती दी गई हो जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकरण का गठन किया गया है)।

इस न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के आलोक में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं की सीधे सुनवाई करके उच्च न्यायालय ने विधि की दृष्टि से त्रुटि की है, क्योंकि ऐसे मामले प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को स्थानांतरित करने से इंकार करके उच्च न्यायालय ने त्रुटि की। फलस्वरूप, हम विवादित आदेशों को निरस्त करते हैं और उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह दोनों रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ को स्थानांतरित करे, जो आगे चलकर मामले को जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित सर्किट पीठ को विधि के अनुसार निपटान के लिए सौंप सकता है।

हम श्री अल्ताफ अहमद द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना अभिलिखित करते हैं।

फलस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पी. वेंकटरामा रेड्डी, न्यायमूर्ति - यद्यपि मैं अपने माननीय भाई द्वारा व्यक्त निष्कर्ष और पारित आदेश से सहमत हूँ, तथापि मैं इस संक्षिप्त परिशिष्ट को जोड़ना उचित समझता हूँ, मुख्यतः उस तर्क का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देने के उद्देश्य से जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उस निर्णय पर आधारित है, जिस पर इस अपील को जन्म देने वाले

विवादित आदेश में भरोसा किया गया है। कुलदीप खुद बनाम मसूद अहमद, (1994) एसएलए 287 ए में पूर्ण पीठ ने, मुख्य न्यायाधीश सगीर अहमद (जैसा कि वे तब थे) के माध्यम से यह मत व्यक्त किया कि संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, जिसके द्वारा अनुच्छेद 323-ए जोड़ा गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता, क्योंकि अनुच्छेद 370 में निर्धारित तंत्र का सहारा नहीं लिया गया था। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया:

"चूँकि अनुच्छेद 323-A इस राज्य पर लागू नहीं होता, अतः उस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी विधि, जो उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट सेवा संबंधी मामलों में रिट जारी करने के उच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार को समाप्त करती हो, इस राज्य के उच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।"

पुनः अनुच्छेद 39 में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया:

"हम पहले ही संकेत कर चुके हैं कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 यद्यपि संपूर्ण भारत में विस्तारित है, फिर भी यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं की सुनवाई करने के इस न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियम की लागू होने की सीमा और इस अधिनियम द्वारा इस न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार का समाप्त किया जाना–ये दोनों भिन्न बातें हैं। यद्यपि जम्मू और कश्मीर राज्य में पदस्थापित केंद्र सरकार के कर्मचारियों आदि को उनके सेवा संबंधी मामलों के त्वरित और शीघ्र निपटान के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है, फिर भी वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य के संविधान की धारा 103 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रार्थना करने का विकल्प बनाए रखते हैं।"

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उपर्युक्त कथन के अनुरूप यह अवलोकन किया कि अधिकरण एक अतिरिक्त या वैकल्पिक मंच होगा, न कि एकमात्र मंच। किसी वैकल्पिक मंच पर उपाय की उपलब्धता से जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान की धारा 103 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन नहीं होता।

हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 323-A की लागू होने की सीमा के संबंध में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का मत सही है। यदि ऐसा है, तो पूर्ण पीठ द्वारा इंगित किए अनुसार अनुच्छेद 323-A के खंड 2(d) में निहित वह प्रतिबंध, जो संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों तथा खंड (1) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करता है, लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ऐसे लोक सेवकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की सुनवाई कर सकता है, यद्यपि स्वाभाविक रूप से वह अपने द्वारा स्वीकृत सामान्य सीमाओं, जैसे कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता, के अधीन रहेगा। किन्तु उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के तर्क सही हैं या नहीं, इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने *चंद्र कुमार* के मामले [1997] 3 एससीसी 261 में अनुच्छेद 323-A के खंड 2(d) को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह संविधान की मूल एवं आवश्यक विशेषताओं में से एक–अर्थात् उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति–का उल्लंघन करता है। *चंद्र कुमार* के मामले में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो गया। अनुच्छेद 323-A का वह आपत्तिजनक प्रावधान, जो उच्च न्यायालयों की संवैधानिक शक्तियों को क्षीण करता था, अब अस्तित्व में नहीं रहा। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 या जम्मू और कश्मीर संविधान के समकक्ष प्रावधानों, अर्थात् धाराएँ 103/104 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार बनाए रखेगा, यहाँ तक कि उन सेवा संबंधी मामलों में भी जो अनुच्छेद 323-A के खंड (1) के अंतर्गत आते हैं। इस सीमा तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा एक भिन्न आधार पर निकाला गया अंतिम निष्कर्ष चंद्र कुमार के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के अनुरूप है। किन्तु चंद्र कुमार के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव और निहितार्थों पर विचार करना आवश्यक है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या उच्च न्यायालय का विवादित आदेश टिकाऊ है या नहीं। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 323-A के आपत्तिजनक प्रावधान को निरस्त करने के पश्चात यह भी कहा गया कि प्रशासनिक अधिकरणों को प्रदान की गई शक्तियों को बनाए रखा जाना चाहिए, साथ ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्रमशः अनुच्छेद 226/227 और 32 के अंतर्गत निहित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से समझौता भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी

उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस न्यायालय ने अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिकाओं की सुनवाई पर कुछ स्व-नियंत्रित सीमाएँ लागू करना उचित समझा। न्यायालय ने यह कहा कि प्रशासनिक अधिकरण सेवा संबंधी मामलों में अपना सहायक दायित्व निभाते रहेंगे और वे वैधानिक प्रावधानों या नियमों की संवैधानिक वैधता की भी जाँच कर सकते हैं, किन्तु उस अधिनियम या नियम की नहीं जिसके अंतर्गत उनका गठन हुआ है। यह भी निर्धारित किया गया कि अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों में प्रथम दृष्टया न्यायालय (प्रथम मंच) के रूप में कार्य करते रहेंगे और पीड़ित व्यक्ति के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह संबंधित अधिकरण के क्षेत्राधिकार की उपेक्षा करते हुए सीधे उच्च न्यायालय का रुख करे। इस संदर्भ में मेरे माननीय भाई ने *चंद्र कुमार* के मामले के निर्णय से संबंधित प्रासंगिक अंश उद्धृत किए हैं।

मैं यह कहना चाहूँगा कि चंद्र कुमार के मामले में दिया गया निर्णय न्यायिक कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है और हमारे गणराज्य में संवैधानिक विधि के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यद्यपि यह निर्णय स्वतः (ipso facto) जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान पर लागू नहीं होता, फिर भी ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि इस निर्णय का सिद्धांत जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा जम्मू और कश्मीर संविधान की धाराएँ 103 और 104 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में लागू न किया जाए। इस न्यायालय द्वारा चंद्र कुमार के मामले में विकसित किया गया यह सम्यक् सिद्धांत धाराएँ 103 और 104 पर भी विस्तारित किया जा सकता है; अन्यथा इससे एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी अथवा केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले निगमों आदि के कर्मचारी अधिकरण को दरकिनार करने का विकल्प प्राप्त कर लेंगे, जबकि अन्य स्थानों पर कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों के साथ समानता नहीं रह जाएगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिनांक 17.12.1998 को जारी अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के दायरे में लाया गया था।

जहाँ तक प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के क्षेत्रीय प्रवर्तन का संबंध है, जैसा कि मेरे माननीय भाई ने इंगित किया है, यह संपूर्ण भारत पर, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी सम्मिलित है, लागू होता है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है और यह स्पष्ट किया है कि अधिकरण एक अतिरिक्त या वैकल्पिक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे

उच्च न्यायालय के संवैधानिक क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यह तर्क कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विवादों या शिकायतों के निर्णय के लिए स्थापित व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के भीतर कार्य नहीं कर सकती, आगे विचार किए जाने योग्य नहीं है। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि *चंद्र कुमार* के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में अधिनियम की धारा 28 का यह प्रभाव नहीं है कि वह संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रभावित करे। साथ ही, चंद्र कुमार के मामले में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार, उच्च न्यायालय को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति प्रारंभिक स्तर पर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष जाने के उपाय को दरकिनार कर सीधे उच्च न्यायालय का रुख करे।

वी.एस. एस अपील स्वीकृत

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|